कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 565 / FP/UK/ROAD/39862/2019 देहरादूनः दिनांकः 25 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/39862/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0, थराली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.981** हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में 05 वृक्षो का पातन निहित है, जो कि प्रति हे0 50 वृक्ष से कम है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि कृपया तद्नुसार प्रस्ताव पर राज्य सरकार की Stage 1 हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
25/8/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/39862/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0, थराली, चमोली।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/39862/2019)

जनपद–चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.981 हे0 सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में 05 वृक्षो का पातन निहित है, जो कि प्रति हे0 50 वृक्ष से कम है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर राज्य सरकार की Stage 1 हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (डी0 जे0 के0 शर्मा) अ0प्र0व0सं0 एवं नो0 अधिकारी (एफ0सी0) उत्तराखण्ड, देहरादून

तिथि : 25/08/2020

स्थान : देहरादून